कला संकाय

बी0 ए0 **स्ववित्तपोषित विषय** **अवधि–3 वर्ष**

1. हिन्दी भाषा
2. हिन्दी साहित्य
3. अंग्रेजी भाषा
4. अंग्रेजी साहित्य
5. अर्थशास्त्र
6. समाजशास्त्र
7. शिक्षाशास्त्र
8. इतिहास
9. गृह विज्ञान

अनिवार्य अर्हता विषय

1. शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद
2. पर्यावरण विज्ञान

टिप्पणी :–

- हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा में से एक विषय का चयन करना अनिवार्य है। दोनों विषय एक साथ नहीं लिए जा सकते।
- अभ्यर्थी को बी0ए0 प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु चार विषयों का चयन करना अनिवार्य है।
- अनिवार्य अर्हता विषय शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद का चयन अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाना आवश्यक है।
- अनिवार्य अर्हता विषय पर्यावरण की परीक्षा में संस्थागत छात्राएं प्रथम वर्ष में ही सम्मिलित हो। पर्यावरण विषय में अनुत्तीर्ण छात्राओं को ही तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित कराया जायेगा। तृतीय वर्ष के परीक्षा फार्म में छात्राओं द्वारा यह स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि वह पर्यावरण विषय की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहती है।

प्रवेश सम्बन्धी नियम :–

महाविद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी पूर्ण अधिकार प्राचार्य तथा उनके द्वारा गठित प्रवेश–समिति को होगा। प्रवेश/पुनः प्रवेश पंजीकरण के लिए मना या बिना किसी कारण बताये निरस्त भी किया जा सकता है।

प्रवेश के लिए आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित मूल प्रपत्रों की अभिप्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित फोटो स्टेट कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है :–

1. हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा गत परीक्षाओं के अंक पत्र।
2. स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) (जो प्रवेश के समय मूल रूप में संलग्न करना होगा)।

3.चरित्र–प्रमाण पत्र (जो प्रवेश के समय मूल रूप में संलग्न करना होगा)।

(अ) व्यक्तिगत परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रााअें को किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।

(ब) संस्थागत परीक्षा में उत्तीर्ण छात्राओं को गत विद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।

4. प्रवेश के समय छात्राओं को डी.एम., ए.डी.एम., तहसीलदार या उनके समकक्ष स्तर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित स्थायी निवास प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जा सकता है।

5.यदि छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति से सम्बन्धित है अथवा विकलांग है और उसका प्रवेश आरक्षित श्रेणी में हुआ है तो इस तथ्य के प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।

6.यदि छात्रा 18 वर्ष या अधिक की है तो वोटर आई.डी. की छाया प्रति।

नोट : आवश्यकता पड़ने पर कोई अन्य प्रपत्र मांगा जा सकता है जिसकी सूचना उसी समय दी जायेगी। किसी भी अवस्था में उपर्युक्त प्रमाण–पत्रों

की मूल प्रतियाँ संलग्न न करें। मूल प्रतियां प्रवेश के समय साथ लेकर आयें।

प्रवेशार्थी टिकट के आकार के एक जैसे 10 फोटो तैयार करवाये जिनमें से 7 फोटो प्रवेश के बाद काम आयेंगे। फोटो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

महत्वपूर्ण नियम

1. महाविद्यालय में प्रवेश एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा निर्गत प्रावधानों के अन्तर्गत ही होगा।
2. अभ्यर्थियों को अपना आवेदन–पत्र पूर्ण करके निर्धारित तिथि तक कार्यालय में जमा कर देना चाहिए। अंतिम तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे।
3. प्रवेश, अर्हता परीक्षा से प्राप्त अंकों की योग्यता सूची के आधार पर होगा।
4. आवेदन पत्रों की जाँच के पश्चात् अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है।
5. प्रवेश शुल्क जमा करने से पूर्व प्रवेशार्थी और अभिभावक की घोषणा जो विवरण पत्रिका में संलग्न है पर हस्ताक्षर प्रवेश अधिकारी की उपस्थिति में होंगे।
6. प्रवेशार्थ प्रस्तुत किए गए आवेदन–पत्र पर तब तक कोई विचार नहीं किया जायेगा जब तक उसकी अपेक्षित पूर्तियाँ पूर्ण कर नहीं ली जाती।
7. प्रवेश की वरीयता सूची बनाते समय प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अन्तर के लिए 2 अंक घटा दिए जायेंगे। विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार ही अंतराल प्रवेश हेतु मान्य होगा।
8. इण्टरमीडिएट परीक्षा संस्थागत रूप से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
9. महाविद्यालय के समस्त प्रवेशों में शासकीय नियमों के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग/व अन्य वर्गों हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा। यह आरक्षण निम्नवत् है :

(i) अनुसूचित जाति (21 प्रतिशत) (ii) पिछड़ी जाति (27 प्रतिशत)

(iii) अनुसूचित जनजाति (2 प्रतिशत) (iv) शारीरिक अपंग (2 प्रतिशत)

(v) रक्षा सेवाओं में संलग्न/स्वतंत्रता संग्राम सेनानियां, पैरामिलेटरी फोर्स के बच्चों के लिए (रक्षा विभाग में कार्यरत नागरिक वर्गों के लिए यह लागू नहीं होगा)

(iv) आरक्षण वर्ग में प्रवेश पाने वाली छात्राओं को सत्यापन हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अन्य वर्गों के लिए जिलाधिकारी या तहसीलदार का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा इसका दो प्रतिशत (i) (ii) (iii) में ही सम्मिलित है।

10. स्नातक परीक्षा का कोई एक वर्ष व्यक्तिगत् रूप से उत्तीर्ण करने वाले छात्र को अगले वर्ष में संस्थागत प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

11. प्रदेश के बाहर से आये छात्राओं के लिए मेरिट लिस्ट के आधार पर केवल 5 प्रतिशत स्थान ही प्रवेश हेतु आरक्षित किए जायेंगे।

12. जो छात्रा स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में परीक्षा सुधार की हकदार है, उसे द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रोन्नत कर प्रवेश की अन्तिम अनुमति दी जायेगी, बशर्तें कि उसने लिखित परीक्षा में कुल 33 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लिए हों तथा वह अस्थायी प्रवेश हेतु आवश्यक घोषणा पत्र भरकर दें। परन्तु यह नियम उस स्थिति में ही लागू होगा जबकि सुधार परीक्षा मुख्य परीक्षा के साथ सम्पन्न हो, अन्य दशा में सुधार परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त की प्रवेश संभव होगा। यह व्यवस्था केवल स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों पर लागू होगी।

13.विशेष नियम :

सभी संकाय में तीन वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों का होना अनिवार्य है किन्तु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए केवल उत्तीर्णांक होना आवश्यक है।